

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सचिका संख्या-1/स्था०-(का०आ०)-06/2024-5349 वि०, पटना, दिनांक-08-06-2026

:: आदेश ::

श्री जय सिंह, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना का स्थानांतरण हो जाने एवं श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, भा०प्र०से०, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का विभाग में पदस्थापन के फलस्वरूप वरीय पदाधिकारियों के बीच कार्यावंटन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	प्रशाखा का नाम/विषय
1.	श्रीमती रचना पाटिल, भा०प्र०से०, सचिव (व्यय)	प्रशाखा-3- सेवा विनियमन, अवकाश एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रशाखा 1. चिकित्सा अग्रिम/चिकित्सा प्रतिपूर्ति 2. सेवा विनियमन 3. अवकाश, इत्यादि। प्रशाखा-3ए- वेतन, भत्ते, सेवाशर्त एवं पद सृजन प्रशाखा 1. सामान्य प्रशासन विभाग 2. जल संसाधन विभाग 3. लघु जल संसाधन विभाग 4. भवन निर्माण विभाग 5. लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग 5. ग्रामीण विकास विभाग 6. केन्द्रीय वेतनमान, वेतन पुनरीक्षण, भत्ता, प्रशासी पदवर्ग समिति, वेतनवृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण विविध कार्य, जो समेकित एवं नीतिगत रूप से सम्पादित किये जाते हों, इत्यादि। प्रशाखा-3बी- वेतन, भत्ते, सेवाशर्त एवं पद सृजन प्रशाखा 1. वित्त विभाग 2. पंचायती राज विभाग 3. कला संस्कृति एवं युवा विभाग 4. श्रम संसाधन विभाग 5. खेल विभाग 6. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 7. ऊर्जा विभाग 8. पथ निर्माण विभाग 9. ग्रामीण कार्य विभाग 10. शिक्षा विभाग 11. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 12. समाज कल्याण विभाग (पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग सहित) 13. जन शिकायत से संबंधित कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण, इत्यादि। प्रशाखा-3सी- वेतन, भत्ते, सेवाशर्त एवं पद सृजन प्रशाखा 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 2. योजना एवं विकास विभाग 3. स्वास्थ्य विभाग 4. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 5. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 6. खान एवं भूतत्व विभाग 7. वाणिज्य कर विभाग 8. निगरानी विभाग 9. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 10. लोकायुक्त कार्यालय 11. विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 12. कृषि विभाग 13. आपदा प्रबंधन विभाग 14. न्यायिक वाद से संबंधित कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण, इत्यादि। प्रशाखा-3डी- वेतन, भत्ते, सेवाशर्त एवं पद सृजन प्रशाखा 1. विधि विभाग 2. बिहार विधान सभा 3. बिहार विधान परिषद् 4. निर्वाचन विभाग 5. नगर विकास एवं आवास विभाग 6. सहकारिता विभाग 7. उद्योग विभाग 8. गन्ना उद्योग विभाग 9. गृह विभाग (आरक्षी/कारा/विशेष) 10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 11. संसदीय कार्य विभाग 12. पर्यटन विभाग 13. सूचना एवं प्रवैधिकी विभाग 14. परिवहन विभाग 15. राज्यपाल सचिवालय 16. विधान मंडल से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, आश्वासन आदि कार्यों तथा सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 से संबंधित कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण, इत्यादि। नोट:- प्रशाखा-3ए से 3डी तक अंकित विभागों में से निम्न विभाग श्री विनय कुमार, संयुक्त आयुक्त को आवंटित है 1. वाणिज्य-कर विभाग 2. परिवहन विभाग 3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 4. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 5. खान एवं भूतत्व विभाग 6. सहकारिता विभाग 7. कृषि विभाग 8. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 9. पर्यटन विभाग 10. उद्योग विभाग 11. गन्ना उद्योग विभाग 12. योजना एवं विकास विभाग प्रशाखा-4- वित्त नियमावली एवं कोषागार संहिता प्रशाखा 1. बैंक खाता खोलने की स्वीकृति एवं बैंक खाता में राशि का हस्तांतरण 2. पी०एल०/पी०डी० खाता खोले जाने पर सहमति एवं इसमें राशि का हस्तांतरण पर सहमति 3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार 4. अग्रिम वेतन 5. सामाग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु निविदा के संबंध में परामर्श 6. बिहार वित्त नियमावली के नियम-112 के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित 7. गबन/दुर्विनियोग से संबंधित मागलों में प्रशासी विभाग से BFR/BTC के परिप्रेक्ष्य में मांगे गये परामर्श पर कार्यवाई 8. बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के नियमों की व्याख्या एवं संशोधन 9. GeM से संबंधित विभागीय परामर्श 10. नई बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के गठन की कार्यवाई 11. निजी भवन में संचालित सरकारी कार्यालयों के भवन किराया की स्वीकृति 12. आवासीय कार्यालय की सुविधा/घरेलू सहायता भत्ता/फर्निचर उपस्कर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मामले जैसे Depreciation Cost तथा दूरभाष/गाड़ी/ईंधन/समाचार-पत्र/आवासीय इंटरनेट सुविधा की अनुमान्यता संबंधी कार्य, इत्यादि। प्रशाखा-7- सांस्थिक वित्त निदेशालय (बैंक) सांस्थिक वित्त (बैंक)/वित्तीय समावेशन योजनायें (आधार पर आधारित भुगतान, मुद्रा ऋण योजना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, स्टैण्ड अप इंडिया, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना), इत्यादि। प्रशाखा-13- बाह्य सम्प्लोषित ऋण प्रशाखा 1. बाह्य सम्प्लोषित परियोजना (EAP) 2. नाबार्ड (RIDF) 3. राष्ट्रीय आवास बैंक (UIDF) 4. SIDBI इत्यादि।

R Mandal
08-06-2026

	प्रशाखा-14- (केवल बजट प्रशाखा) 1. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 3. राज्यपाल सचिवालय 4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 5. योजना एवं विकास विभाग 6. खान एवं भू-तत्व विभाग 7. बिहार लोक सेवा आयोग 8. सामान्य प्रशासन विभाग 9. निगरानी विभाग 10. समाज कल्याण विभाग प्रशाखा-14- (Scheme only)- 1. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 3. राज्यपाल सचिवालय 4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 5. योजना एवं विकास विभाग 6. खान एवं भू-तत्व विभाग 7. बिहार लोक सेवा आयोग 8. सामान्य प्रशासन विभाग 9. निगरानी विभाग 10. समाज कल्याण विभाग प्रशाखा-15 (केवल बजट प्रशाखा) 1. स्वास्थ्य विभाग 2. वित्त विभाग 3. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 5. श्रम संसाधन विभाग 6. विधि विभाग 7. उच्च न्यायालय 8. परिवहन विभाग 9. पर्यटन विभाग 10. भवन निर्माण विभाग 11. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग प्रशाखा-15- (Scheme only)- 1. स्वास्थ्य विभाग 2. वित्त विभाग 3. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 5. श्रम संसाधन विभाग 6. विधि विभाग 7. उच्च न्यायालय 8. परिवहन विभाग 9. पर्यटन विभाग 10. भवन निर्माण विभाग 11. अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग प्रशाखा-16- (केवल बजट प्रशाखा) 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 2. सहकारिता विभाग 3. शिक्षा विभाग 4. विधान मंडल 5. संसदीय कार्य विभाग 6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 7. उद्योग विभाग 8. जल संसाधन विभाग 9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रशाखा-16- (Scheme only)- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 2. सहकारिता विभाग 3. शिक्षा विभाग 4. विधान मंडल 5. संसदीय कार्य विभाग 6. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 7. उद्योग विभाग 8. जल संसाधन विभाग 9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रशाखा-17- (केवल बजट प्रशाखा) 1. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 2. गृह विभाग 3. कृषि विभाग 4. निर्वाचन विभाग 5. ग्रामीण विकास विभाग 6. आपदा प्रबंधन विभाग 7. लघु जल संसाधन विभाग 8. पथ निर्माण विभाग 9. खेल विभाग 10. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रशाखा-17- (Scheme only)- 1. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 2. गृह विभाग 3. कृषि विभाग 4. निर्वाचन विभाग 5. ग्रामीण विकास विभाग 6. आपदा प्रबंधन विभाग 7. लघु जल संसाधन विभाग 8. पथ निर्माण विभाग 9. खेल विभाग 10. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रशाखा-18- (केवल बजट प्रशाखा) 1. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 2. नगर विकास एवं आवास विभाग 3. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग 4. उर्जा विभाग 5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 6. गन्ना उद्योग विभाग 7. पंचायती राज विभाग 8. वाणिज्य-कर विभाग 9. ग्रामीण कार्य विभाग प्रशाखा-18- (Scheme only)- 1. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 2. नगर विकास एवं आवास विभाग 3. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग 4. उर्जा विभाग 5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 6. गन्ना उद्योग विभाग 7. पंचायती राज विभाग 8. वाणिज्य-कर विभाग 9. ग्रामीण कार्य विभाग प्रशाखा-19- अर्थोपाय प्रशाखा 1. संसाधन अनुमान्य 2. निक्षेप निधि कोष 3. Open Market Borrowing 4. ब्याज, पेंशन, ऋण से संबंधित कार्य, ऋण प्रबंधन 5. वित्त विभाग एवं अन्य विभागों से प्राप्त उपशीर्ष खोलने संबंधित कार्य 6. जयघोष सूद की राशि का आवंटन संबंधी कार्य 7. ऋण एवं गारंटी संबंधी सभी कार्य 8. भारतीय रिजर्व बैंक एवं एजेंसी बैंक संबंधी विवरणी (दैनिक/मासिक) के साथ मासिक इतिशेष की संपुष्टि संबंधी कार्य, इत्यादि। 9. केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान का संचारण 10. केन्द्रीय करों में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले हिस्से का संचारण 11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनों, कंडिकाओं का उत्तर 12. 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता और अनुदान (प्राप्तियाँ) बजट राशि का निर्धारण 13. केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाले राज्य का हिस्सा (प्राप्तियाँ) बजट राशि का निर्धारण 14. उच्च स्तरीय समिति की बैठक से संबंधित कार्य, इत्यादि।
--	--

2.	श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव	प्रशाखा-8- सांस्थिक वित्त निदेशालय (N.B.F.C.) 1. सांस्थिक वित्त (N.B.F.C.) 2. निलाम पत्र वाद से संबंधित कार्य, इत्यादि। 3. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित कार्य।
		प्रशाखा-9- लोक लेखा प्रशाखा 1. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन/महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन से संबंधित कार्यवाई 2. सूद की राशि का अपलेखन 3. लोक लेखा समिति की बैठकों से संबंधित कार्य 4. महालेखाकार द्वारा प्राप्त प्रारूप कड़िका का निष्पादन, इत्यादि।
		प्रशाखा-20- संसूचन एवं विधायी तथा ई-गजट प्रशाखा 1. विधायी कार्य 2. ई-गजट संबंधी कार्य 3. सभी विभागों द्वारा प्रेषित राज्यादेश का संसूचन, इत्यादि।
		प्रशाखा-26- वेतन निर्धारण प्रशाखा 1. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन सत्यापन 2. वेतन सत्यापन से संबंधित शिकायत पर कार्यवाई 3. जिला लेखा कार्यालयों के वेतन निर्धारण संबंधी मामले का अनुश्रवण, इत्यादि।
		प्रशाखा-28- ई-गवर्नेंस सेल 1. CFMS/CTMIS/HRMS से संबंधित कार्य 2. CFMS के विभिन्न Modules/Functionlities/SRS Document पर बैठक एवं परामर्शी से मंतव्य प्राप्त करना 3. WAMIS/e-payment एवं अन्य से संबंधित कार्य 4. UAT एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य 5. संबंधित एजेंसी के साथ एकरारनामा, MOM एवं मुग्तान कार्य 6. GeM संबंधित कार्य यथा प्रशिक्षण, अधिप्राप्ति, Payment Mode, बैंकों के साथ MoU करना 7. ई-गवर्नेंस से संबंधित अन्य कार्य, Asset Monetization इत्यादि।
		प्रशाखा-29- ई-कोषागार प्रशाखा 1. O-GRAS/RMS (e-receipt) एवं अन्य से संबंधित कार्य 2. GST से संबंधित कार्य 3. ई-कोषागार से संबंधित कार्य 4. साइबर कोषागार से संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-30- केन्द्रांश राशि अनुश्रवण प्रशाखा 1. PFMS/SNA-SPARSH/DBT से संबंधित कार्य 2. CSS/CS स्कीम से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-31 से 34- लेखा शाखा
		प्रशाखा-36- कोषागार एवं लेखा प्रशाखा 1. राज्य के कोषागारों में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों (समाहरणालय संवर्ग/कोषागार संवर्ग) का स्थापना से संबंधित कार्य (आरोप/परिवाद सहित)। 2. कोषागार का बजट बनाने आवंटन देने एवं प्रत्यर्पण संबंधी कार्य 3. डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्रेड-ए की नियुक्ति पर मार्गदर्शन संबंधित मामला 4. कोषागारों से मासिक लेखा प्राप्त करना 5. कोषागार से प्राप्त मासिक लेखा, सिविल लेखा एवं वित्त लेखा से संबंधित कार्य 6. कोषागार भवन के निर्माण/जीर्णोद्धार संबंधी कार्य 7. VDMS से संबंधित कार्य 8. RBI Discrepancy/RBD लेखा एवं RBI से संबंधित कार्य 9. राज्य के कोषागारों के निरीक्षण एवं अंकेक्षण का कार्य 10. राज्य के कोषागारों के बजट से संबंधित कार्य 11. OB Suspense/Reviw Not Ok से संबंधित कार्य एवं महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त होने वाले लेखा (Accounting) संबंधी कार्य 12. CAG की कड़िकाओं में कोषागार से संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-37- सामान्य भविष्य निधि निदेशालय
		प्रशाखा-38- लोक उद्यम ब्यूरो प्रशाखा
		Dashboard - Daily Monitoring 1. All types of Receipt 2. Daily/ Monthly Report of RBI Receipt & Expenditure
		Budget Monitoring & Expenditure Control 2. Department-wise Expenditure 3. PL/PD Account Balance
		Pension Digitization, AG Liaison work
		Liaison with AG: (a) On all Issues of Finance department (b) Integration of CFMS, HRMS, WAMIS with AG (c) Account Submission to AG
		Preparation of Documents : (a) Budget Manual (b) Treasury Code (c) Audit Manual (d) Purchase Preference & Procurement Guidelines
		ई-ऑफिस
		निदेशक, बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP), पटना
		विशेष अनुश्रवण कोषांग

R Mandal

08-06-2026

3.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव	प्रशाखा-1- राजपत्रित स्थापना
		प्रशाखा-2- अराजपत्रित स्थापना
		प्रशाखा-11- निगरानी प्रशाखा 1. विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 2. वित्त विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्वच्छता प्रमाण पत्र 3. वित्तीय अनियमितता से संबंधित कार्य 4. सभी विभागों से प्राप्त परिवाद पत्रों एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त परिवाद पत्रों पर कार्रवाई 5. विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन सभी विभागों द्वारा किये गये अधिकायी व्यय तथा विनियोग लेखा के आधार पर प्रतिवेदित अधिकायी व्यय पर अग्रेतर कार्रवाई 6. गबन/दुर्विनियोग इत्यादि से संबंधित प्राप्त शिकायत पत्रों पर कार्रवाई, इत्यादि।
		प्रशाखा-12- विधि प्रशाखा 1. वित्त विभाग से संबंधित मामले में सरकारी अधिवक्ता से रिट की छायाप्राप्ति प्राप्त करने/केस से संबंधित संचिका खोलना/ऐसे मामलों में संबंधित विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी से पत्राचार करना 2. एम०जे०सी०/सी०डब्ल्यू०जे०सी० की सूची तैयार कर मामले को संबंधित विभाग/प्रशाखा को भेजना, इत्यादि।
		प्रशाखा-40 आगत निर्गत प्रशाखा बैठक (विभागीय, राज्यस्तरीय, सेवांत लाभ इत्यादि), प्रशिक्षण, सभी प्रतिवेदन (विभागीय/गैर विभागीय), सभी प्रशाखों के मध्य समन्वय कार्य, प्राप्ति एवं वितरण, मुख्य निर्गम एवं डायरी कार्य, इत्यादि।
4.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, भा०प्र०से०, विशेष सचिव	प्रशाखा-41 (एसी०/डी०सी०/यू०सी० प्रशाखा) 1. एसी०/डी०सी०/यू०सी० से संबंधित कार्य 2. विभिन्न विभागों का लंबित एसी०/डी०सी०/यू०सी० का समायोजन कराना 3. एसी०/डी०सी० से संबंधित लंबित मामलों का महालेखाकार से समन्वय स्थापित कर समायोजित कराना 4. कोषागार संहिता के नियम-194(I) एवं 271(ड) के आलोक में बंधेज शिथिलीकरण (AC/DC) 5. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से संबंधित कार्य, इत्यादि। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, पटना
		प्रशाखा-5- प्रेस प्रशाखा बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रेस एवं फॉर्मर्स, गया/मुद्रण एवं लेखन सामग्री से संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-6- सूचना का अधिकार एवं जन शिकायत प्रशाखा सूचना का अधिकार/जन शिकायत/मुख्य सचिव जन शिकायत/केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), इत्यादि।
		प्रशाखा-10- अग्रिम प्रशाखा 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों, राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम की स्वीकृति 2. मंत्रियों एवं विधान मंडल सदस्यों के मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति, इत्यादि।
		प्रशाखा-21 से 25 एवं 43 से 47 वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग 1. वेतन पूर्जा निर्गत करना 2. सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति के उपरांत सेवा इतिहास, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजना 3. सेवानिवृत्ति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि का प्राधिकार पत्र निर्गत करना, इत्यादि।
		प्रशाखा-27- पेंशन प्रशाखा 1. पेंशन संबंधित मामलों में विभिन्न विभागों से प्राप्त संचिका पर वित्त विभागीय परामर्श देना 2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5508 दिनांक-05.05.1997 के आलोक में स्वीकृत अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन 3. अनुग्रह अनुदान समिति की बैठक संबंधी कार्य 4. पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति 5. पेंशन कोषांग की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता 6. पेंशन कोषांग में पेंशनर/उनके उत्तराधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तार 7. बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच लंबित पेंशन दायित्वों के बँटवारे से संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-35- वित्त आयोग प्रभाग 1. राज्य वित्त आयोग से संबंधित कार्य 2. केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित कार्य 3. वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई 4. नीति आयोग से संबंधित कार्य 5. बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP) से संबंधित कार्य, इत्यादि।
		प्रशाखा-39- राष्ट्रीय बचत प्रशाखा वित्त अंकेक्षण निदेशालय से समन्वय स्थापित करना, इत्यादि। निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग।
		प्रशाखा-42- नई पेंशन योजना प्रशाखा 1. नई पेंशन योजना से संबंधित कार्यों को निष्पादन, इत्यादि।

2. पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-9090, दिनांक-20.08.2025 एवं ज्ञापांक-10692, दिनांक-09.10.2025 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. विशेष सचिव की अनुपस्थिति में उनके आवंटित कार्यों का निष्पादन सचिव (व्यय) द्वारा किया जाएगा।
4. प्रशाखा के उपस्थापन श्रृंखला संबंधित आदेश बाद में निर्गत किया जाएगा।
5. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

R Mandal
08-06-2026
(राम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-08/2024

5840

/वि०, पटना, दिनांक-08-06-2026

प्रतिलिपि-माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय/सभी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R Mandal08-06-2026
सरकार के अवर सचिव।